FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत सहायक कलक्टर (SDO) बायतु मुकाम ....

खेयाराम बनाम खुशालाराम वगैरा

किस्म मुकदमा रा० आवेदन नं. 06/2020 सन 2020

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01/01/2020	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री रिणछाराम सियाग ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111, 128 RLR Act राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 12/02/2020 को पेश हो। हस्ताक्षर 1/1/2020 सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
12/2/2020	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण के नोटिस जरिये रजिस्टर्ड एडी भिजवाये गये जिनको 30 दिन से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है जिनकी ओर से कोई अधिवक्ता या अभिभावक उपस्थित नहीं हुआ। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई अंतिम आवाज 5:45 pm पर लगाई गई। विप्रार्थीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई प्रार्थी के अधिवक्ता ने बताया की प्रार्थी व विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सैना सैन आये हुए है। प्रार्थी व विप्रार्थीगण के खेतो के मध्य जो पुरानी मार्ग [illegible] आये हुए थे जो वर्तमान में [illegible]	

हस्ताक्षर
सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.26 16:46:37 IST
Reason: SelfAttested

क/वाद/2020/
प्रार्थी
जैयाराम पुत्र ना...
निवासी ...

से विवाद करते हैं। बहस होने पर विपक्षीगण प्रार्थी के खातेदारी खेतों में कब्जा कर लेते हैं। जिस कारण प्रार्थी व विपक्षीगणों के मध्य खेत के सेढों को लेकर हमेशा तनाजा बना रहता है। इसलिए प्रार्थी को अपने खातेदारी खेतों की पक्की सीमाबंदी करवाना आवश्यक है। इसलिए प्रार्थी का सीमाबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर सीमाबन्दी आदेश किया जावे।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का सीमाबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गिड़ा को कमिश्नर व सम्बन्धित भू-अभिलेख निरीक्षक को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या सहायक कमिश्नर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की सीमाबन्दी मौके पर कमिश्नर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली कोमल कुमार रीडर दर्ज नकल में कम हो दाखिल दफ्तर हो।

विवेक व्यास
12.2.2020

सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.26 16:46:37 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान सरकार

न्यायलय उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक/वाद/2020/ 85 दिनांकः– 12/02/2020

प्रार्थी बनाम विप्रार्थीगण

जैयाराम पुत्र नानगाराम जाति जाट निवासी उदरमाणियों की ढाणी

चुतराराम पुत्र चंदाराम वगैरा निवासी उदरमाणियों की ढाणी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 06/2020

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा उदरमाणियों की ढाणी पटवार हल्का पूनियों का तला तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 705/319, 341 रकबा क्रमशः 22.17, 82.13बीघा की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है खातेदार को अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लियाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 भू0,रा0,अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है व तहसीलदार गिड़ा को कमिश्नर व संबंधित भू अभिलेख निरिक्षक को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिश्नर स्वंय या सहायक कमिश्नर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबन्दी मौके पर निर्धारित कमिश्नर शुल्क रूपये 500/– जमा करा कर करें एवं पालना रिपोर्ट पेश करें। तथा अपेक्षित होने पर थाना प्रभारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु आपको अधिकृत किया जाता है।

आदेश बसरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (SDO)
उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक/वाद/2020/ 86 to 90 दिनांकः– 12/02/2020

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिड़ा
2. पटवारी पूनियों का तला को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री जैयाराम पुत्र नानगाराम
4. विप्रार्थीगण चुतराराम पुत्र चंदाराम वगैरा
5. थाना अधिकारी पुलिस थाना बायतु/गिड़ा

सहायक कलक्टर (SDO)
उपखण्ड अधिकारी बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.26 16:46:37 IST
Reason: SelfAttested